

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2019/

183

दिनांक - 31/1/19

प्राथीगण
1 रावताराम पुत्र भोमाराम वगैराह जाति
जाट निवासी प्रेमसागर (रावतसर)
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1 कुम्भामरा पुत्र जोराराम वगैराह जाति जाट
निवासी प्रेमसागर (रावतसर) तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 904/2018

दिनांक- 30.01.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रेमसागर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 396 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 398 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या
411 रकबा 41.03 बीघा, खसरा संख्या 1674/397 रकबा 91.15 बीघा कुल रकबा 133.10
बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार
बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व
प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी
की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


दिनांक- 31/1/19

क्रमांक :- रीडर/2019/

184-187

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रावताराम पुत्र भोमाराम वगैराह जाति जाट निवासी प्रेमसागर (रावतसर) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कुम्भामरा पुत्र जोराराम वगैराह जाति जाट निवासी प्रेमसागर (रावतसर) तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर